न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./04/2023

1. नारायणी पत्नि रामकरण
2. रामकरण पुत्र सुखदेव जातिगण गुर्जर निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द पुत्र ओंकार
2. झमकू पत्नि औंकार
3. तेजमल पुत्र भारू
4. महादेव पुत्र भारू
5. मांगीलाल पुत्र श्रीराम
6. मन्दरूप पुत्र श्रीराम
7. जसराज पुत्र श्रीराम
8. बाबू पुत्री श्रीराम
9. नानका पुत्री श्रीराम समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. बाबुदीन पुत्र अलादीन जाति मुस्लिम निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थीगण– शम्मी मोहम्मद
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 11.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा अर्जुनपुरा पटवार क्षेत्र पडांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 45 में दर्ज ख0न. 683 रकबा 0.49 हैं0 कुल किता–1 रकबा 0.49 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 10 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीयागण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर उनके के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयागण की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

11/2/23

लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थीगण और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम अर्जुनपुरा का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा अर्जुनपुरा पटवार क्षेत्र पडांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 45 में दर्ज ख0न. 683 रकबा 0.49 हैं0 कुल किता–1 रकबा 0.49 हैं0** प्रार्थीयागण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक सिगांवल को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 **को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।**

अध्यक्ष
(लोक अदालत बैंच
अध्यक्ष
(तालुका विधिक सेवा समिति)
रा0 लोक अदालत
केकड़ी, जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner